जय सम्राट! सम्राट अशोक महान अमर रहें! जय भारत!

महानवादी पार्टी

का

संविधान

पता– प्रधान कार्यालय

ग्राम+ पोस्ट– कुतुबपुर चनौरा

जिला– फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश 283203

मोबाइल नं0 09410290485, 07509100126

महानवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष

महानवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव

जय सम्राट!　　　　सम्राट अशोक महान अमर रहें!　　　　जय भारत!

पार्टी का संविधान

अनुच्छेद–1

संगठन का नाम

धारा– 1 यह संगठन "महानवादी पार्टी" के नाम से जाना जायेगा।

अनुच्छेद–2

भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रृद्धा और निष्ठा और सिद्धान्त

धारा 01–क्या लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क(5) के अनिवार्य उपलब्ध कि "दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रृद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता एकता व अखंडता को अक्षुण रखेगा।" को इन्हीं शब्दों में पार्टी संविधान में शामिल रखेगा।

धारा 02–भारत के संविधान के प्रति सम्राट अशोक के वृहदत्तर भारत की स्थापना को साकार करके अहिंसा परमोधर्मा मानव सेवा सर्वोत्तम धर्म एवं कर्तव्य व सूद्रों द्रविड़ों (मूल निवासी) सत्ता में स्थापित करना।

धारा 03—भारत में जरूरतमंद समाज से प्रतिनिधि चुनकर संख्या के आधार पर सत्ता में अनिवार्य रूप से भागीदारी स्थापित करना।

धारा 04—पार्टी इस सिद्धान्त में विश्वास करती है कि व्यक्ति से बड़ा समाज व समाज से बड़ी मानव सेवा होती है और महान व्यक्ति वो है जो देख सकता है कि विचार की दुनिया पर शासन करता है।

धारा 05—सिद्धान्त एवं निष्ठाओं की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यवहार ही पार्टी को कर्तव्य पालन के रूप में स्वीकार होगा।

अनुच्छेद—3

धारा 01—केन्द्रीय कार्यालय ग्राम व पोस्ट कुतुबपुर चनौरा, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से संचालित होगा।

धारा 02— अन्य कार्यालय जिले में जिला कार्यालय जिस जिले में एक अधिक अनुमण्डल है उनमें अनुमण्डलीय कार्यालय एवं प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय आदि केन्द्रीय समिति की सहमति से संचालित किये जा सकेगे। महानवादी पार्टी की केन्द्रीय समिति उपरोक्त कार्यालयों के कार्यक्षेत्र के लिए सम्बन्धित समितियों का गठन करेंगी।

अनुच्छेद—4

महानवादी पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा एवं चुनाव निम्न प्रकार का होगा

पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा

महानवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उ० प्रदेश

महानवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव

01— केन्द्रीय समिति—यह महाअधिवेशन के बाद संगठन की सबसे शक्तिशाली अंग होगा। इसका चुनाव सभी राज समितियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मत प्रणाली द्वारा होगा। केन्द्रीय समिति में निम्न सदस्यों/पदाधिकारी होगे।

संरक्षक :
अध्यक्ष :
कोषाध्यक्ष :
महासचिव :
प्रवक्ता :
उपाध्याक्ष :
सचिव :
संगठन सचिव :
प्रबन्धन सचिव :
सलाहकार सचिव :
मीडिया सचिव :
प्रचार सचिव :
कार्यालय प्रभारी :
वाहन सचिव :
कार्यकारिणी सदस्य : 101 — 121

धारा 02— राज्य समिति— सभी जिला समितियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान प्रक्रिया द्वारा 100 सदस्यीय राज समिति का निर्वाचन होगा। इसमें अध्यक्ष—1 उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, प्रवक्ता—1, संगठन सचिव—1, कोषाध्यक्ष—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य होगे।

धारा 03— जिला समिति— जिले के नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र के 75 सदस्यों से जिला समिति बनेगी।

अध्यक्ष—1, उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, संगठन सचिव—1, प्रवक्ता—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य होगे। इनका चुनाव सभी नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र समिति के निर्वाचन सदस्यों द्वारा

मतदान द्वारा होगा या केन्द्रीय कार्यकारिणी अपने मत से कोई भी पदाधिकारी बना सकेगी।

धारा 04— नगर पालिका/नगर— परिषद, क्षेत्र, समिति— अनुमण्डल समिति से 51 सदस्यी समिति बनेगी।

अध्यक्ष—1 उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, प्रवक्ता—1, संगठन सचिव—1, कोषाध्यक्ष—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य । इसका चुनाव सभी अनुमण्डल समितियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा किया जाएगा।

धारा 05— अनुमण्डी समिति— जिस जिले में एक से अधिक अनुमण्डल होगे उनमें अनुमण्डल समिति बनेगी। अनुमण्डल में स्थिति प्रखण्डों की 51 सदस्यीय अनुमण्डल समिति होगी।

अध्यक्ष—1 उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, प्रवक्ता—1, संगठन सचिव—1, कोषाध्यक्ष—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य । इसका चुनाव सभी प्रखण्ड समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा किया जाएगा।

धारा 06— प्रखण्ड समिति— प्रखण्ड में स्थिति पंचायतों से 51 सदस्यीय समिति बनेगी।

अध्यक्ष—1 उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, प्रवक्ता—1, संगठन सचिव—1, कोषाध्यक्ष—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य । इसका चुनाव सभी पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा किया जाएगा।

धारा 07— पंचायत समिति— पंचायत समिति में स्थित ग्रामों से 21—31 सदस्यों की पंचायत समिति बनेगी।

अध्यक्ष—1 उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, प्रवक्ता—1, संगठन सचिव—1, कोषाध्यक्ष—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य । इसका चुनाव सभी ग्राम समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा किया जाएगा।

धारा 08— ग्राम समिति— ग्राम समिति इकाई होगी जिसके सदस्यों की संख्या 21—25 होगी ।

अध्यक्ष—1 उपाध्यक्ष—5, महासचिव—5, सचिव—5, प्रवक्ता—1, संगठन सचिव—1, कोषाध्यक्ष—1 तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्य । इसका निर्वाचन ग्रामीण स्तर पर संगठन द्वारा मतदान किया जाएगा।

धारा 09— **केन्द्रीय अनुशासन समिति—**

केन्द्रीय अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होगे तथा केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त—4 सदस्य इनकी सहायता करेंगे। यह समिति ग्राम समिति से केन्द्र समिति तक के सभी सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेंगे। इस मद में दोषी को पहले उसके जुर्म की सूचना दी जायेगी और उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा जायेगा दोषी के विचारों एवं तथ्यों को नजर में रखकर यह समिति अपनी अनुसंशा केन्द्रीय समिति को सौपेगी। फिर दोषी पर आरोप साबित होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही केन्द्रीय समिति द्वारा तय की जायेगी।

धारा 10— **केन्द्रीय प्रचार समिति (मीडियासेल)—** केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय समिति की अनुशंसा पर 5 सदस्यीय समिति गठित करेगी यह समित संपूर्ण देश में पार्टी के विकास हेतु प्रचार—प्रसार करेगी।

धारा 11— **केन्द्रीय अनुषांगित समितियां:—** उपधारा क

केन्द्रीय युवा समिति उपधारा :(ख) केन्द्रीय छात्र समिति

उपधारा :(ग) श्रमिक समिति:—

1 संगठित क्षेत्र 2 असंगठित क्षेत्र

उपधारा :(घ) केन्द्रीय बुद्धिजीवी समिति उपधारा (च) केन्द्रीय

पूर्व सैनिक समिति उपधारा :(छ) केन्द्रीय महिला उपधारा (ज) केन्द्रीय

किसान समिति उपधारा :(झ) केन्द्रीय अल्पसंख्यक समिति

उपधारा :(ट) केन्द्रीय अनुसूचित जाति समिति

उपधारा :(ठ) अनुसूचित जनजाति समिति उपधारा

:(ड) केन्द्रीय पिछडी जाति समिति

उपधारा :(ढ) केन्द्रीय कर्मचारी समिति

उपधारा :(त) केन्द्रीय अवकाश प्राप्त कर्मचारी प्रकोष्ट

धारा 12— **केन्द्रीय प्रवक्ता समिति—**

केन्द्रीय समिति द्वारा 2 सदस्य नियुक्त। केन्द्रीय प्रवक्ता संगठन के बारे में सारी जानकारी रखेगा तथा संगठन की छबि को बढ़ायेगा। इलैक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के समक्ष सारे सार्थक वक्तव्य देने हेतु जिम्मेदार होगा।

धारा 13—बैठक—

उपधारा (क) ग्राम समिति पंचायत समिति, प्रखंड समिति, जिला समितियों की साधारण बैठक कम से कम दो माह में एक बार।

उपधारा (ख) केन्द्रीय समिति की साधारण बैठक 3 माह में एक बार।

उपधारा (ग) महाअधिवेशन— 3 साल में एक बार। महाअधिवेशन में ग्राम समिति से लेकर केन्द्रीय समिति तक के सभी सदस्य भाग लेंगे। परन्तु विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय अध्यक्ष्ज्ञ की अनुमति से आपा परिस्थितियों में विशेष/आपात् बैठक बुलाई जा सकती है।

धारा 14— केन्द्रीय निर्वाचन समिति— केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त—5 सदस्य केन्द्रीय निर्वाचन समिति के सदस्य होगे। इन्हें ग्राम समिति से लेकर केन्द्रीय समिति तक के चुनाव का संचालन करना होगा। केन्द्रीय निर्वाचन समिति के सदस्य चुनाव से अगले तीन वर्षो तक किसी अन्य पद पर निर्वाचित/मनोनीत नहीं हो सकेंगे। यह समिति प्रत्येक समिति के चुनाव के लिए चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे जो इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया हेतु जिम्मेदार होगा। कोई भी चुनाव निर्वाचन पर्यवेक्षक की गैर मौजूदगी में नहीं होगी। निर्वाचन समिति के सदस्य चुनाव के अगले तीन वर्षो तक किसी अन्य पद पर निर्वाचित/मनोनीत नहीं हो सकेंगे। यह समिति प्रत्येक समिति के चुनाव के लिए चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे जो इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया हेतु जिम्मेदार होगा। कोई भी चुनाव निर्वाचन पर्यवेक्षक की गैर मौजूदगी में नहीं होगा।

अनुच्छेद—5

पार्टी की सदस्यता/पात्रता

धारा–01 पार्टी की सदस्यताः–

उपधारा (क) पात्रता– पागल दिवालिया या देशद्रोही को छोड़कर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक हो तथा

1– भारतीय संविधान में आस्था रखता/रखती हो।

2– पार्टी की नीतियों एवं सिद्धान्तों में विश्वास रखता/रखती हो।

3– पार्टी सदस्यता के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर रखता/रखती हो। में ....पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है मै ....पार्टी के संविधान नियमों शर्तो तथा अनुशासन का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

उपधारा (ख) प्राथमिक सदस्य रद्द करने की प्रक्रिया किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द करने हेतु (अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर) संबन्धित अध्यक्ष अधिकृत होगे। अंतिम अधिकार केन्द्रीय अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय समिति को होगा।

उपधारा (ग) क्रियाशील सदस्य पात्रताः–

1– पार्टी का प्राथमिक सदस्य हो।

2– 25 साधारण सदस्यों की नियुक्ति करवा चुका/चुकी हो।

3– अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कभी भी 6 माह या उससे अधिक की अवधि के लिए पार्टी से निश्कासित नहीं हुआ/हुई हो।

उपधारा (घ) क्रियाशील सदस्यता रद्द करने की प्रक्रियाः– किसी भी क्रियाशील सदस्य की अपरिहार्य कारणों से सदस्यता रद्द करने का अधिकार प्रखंड अध्यिक्ष की अनुशंसा पर जिला अध्यक्ष का होगा लेकिन इसकी अंतिम स्वीकृति अनुशासन समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय अध्यक्ष से लेनी होगी।

उपधारा (च) सदस्यता शुल्कः–

1– 10/– प्राथमिक सदस्यता शुल्क

2– 20/– वार्षिक शुल्क

महानवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश

महानवादी पार्टी

उपधारा (छ) सदस्यता शुल्क का बटवाराः–

1– 10/–प्राथमिक सदस्यता शुल्क केन्द्रीय समिति को सम्पूर्ण

2– वार्षिक शुल्क का 50 प्रतिशत पंचायत समिति एवं प्रखण्ड समिति में बराबर– बराबर तथा शे 50 प्रतिशत अनुमण्डल समिति एवं जिला समिति को जायेगा।

उपधारा (ज) सदस्यता का नवीनीकरणः– प्रत्येक तीसरे वर्ष के प्रथम माह में प्राथमिक सदस्यों को नवीकरण करा लेना होगा।

उपधारा (झ) आजीवन सदस्यताः– केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर किसी भी प्राथमिक सदस्य को रू01000/– शुल्क लेकर आजीवन सदस्यता दी जायेगी।

धारा 02– सदस्यता से हटानाः–

1– त्याग पत्र देने पर

2– सहायता शुल्क नहीं देने पर

3– अनुशासनिक कार्यवाही होने पर

अनुच्छेद–7

संगठन का संविधान संशोधन

संगठन के संविधान में कोई भी संशोधन महाअधिवेशन के दो–तिहाई बहुमत में सम्पन्न होगा।

संगठन का बिलय या विघटन

संगठन का विलय या विघटन महाअधिवेशन में पास साधारण वहुमत द्वारा होगा।

अनुच्छेद–8

केन्द्रीय महाअधिवेशन

धारा 01– गठन– केन्द्रीय, राज्य, जिला, अुनमण्डा, नगरपालिका/नगर परिषद

प्रखण्ड, ग्राम अनुशांगिक इकाईयों के सभी सदस्यों से अधिवेशन सम्पन्न होगा।

धारा 02— **कार्य क्षेत्र एवं शक्ति—** केन्द्रीय महाअधिवेशन निति निर्धारण एवं निर्णय के सर्वोच्च शक्ति होगा केन्द्रीय महाअधिवेशन के पास संविधान में परिवर्तन करने या संशोधन करने की शक्ति भी निहित होगी।

उपधारा 01— दो केन्द्रीय महाअधिवेशन के बीच केन्द्रीय समिति के पास सर्वोच्च वैधानिक शक्ति होगी। जिसके प्रभारी केन्द्रीय अध्यक्ष होगे।

उपधारा 02— केन्द्रीय समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय अध्यक्ष अनुशांगिक इकाईयों का गठन करेंगे।

उपधारा 03— विशेष समय के लिए विशेष समित के पदाधिकारियों का चयन केन्द्रीय स्तर से जिला स्तर तक केन्द्रीय समिति निर्देश या अनुशंसा के बाद होगी।

उपधारा 04— केन्द्रीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को अस्वीकृति करने का अधिकार भी महाअधिवेशन को होगा।

धारा 03— **केन्द्रीय महाअधिवेशनः—** पार्टी का महाअधिवेशन 3 वर्ष के अन्तराल में होगा। विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय समिति के दो तिहाई सदस्यों की समिति से महाअधिवेशन का आपात कालीन आयोजन किया जा सकेगा।

धारा 04— महा अधिवेशन के आयोजन के सम्बन्ध में:— प्रत्येक समितियों के पास लिखित सूचनायें महाअधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्तावों के साथ भिजवाने का दायित्व केन्द्रीय समिति का होगा। महाअधिवेशन के आयोजन के तीस दिन पूर्व ही इस सम्बन्ध में सूचनायें प्रेषित की जानी आवश्यक होगी।

धारा 05— **कोरमः—** अधिवेशन (सम्मेलन) या महाअधिवेशन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय समिति द्वारा माप दण्ड और संख्या के अनुसार ही निम्न समितियों से प्रतिनिधि भाग लेगे जो संविधान में निश्चित प्रावधानों के अनुसार होगा। कोरम सामान्यतः कुल सदस्यों का कम से कम एक तिहाई से कम नहीं होगा।

अनुच्छेद–9

केन्द्रीय– समिति

धारा 01– केन्द्रीय समिति के अधिकार एवं कार्य–

उपधारा 01– दो महाअधिवेशन के अन्तराल में केन्द्रीय समिति सर्वोच्च इकाई होगी।

उपधारा 02– केन्द्रीय समिति अन्य समितियों की अनुशंसाओं की स्वीकृति दे सकती है तथा व्यापक विचार विमर्श के बाद महाअधिवेशन के लिए प्रस्ताव के रूप में ग्रहण और स्वीकृति कर सकती है।

उपधारा 03– केन्द्रीय समिति सदस्यता फार्म और सदस्यता के माप दण्ड निर्धारित करेगी। सभी समितियों एवं अनुशांगिक इकाईयों के सदस्यों की सूची केन्द्रीय समिति को भेजना अनिवार्य होगा। समय–समय पर नये सदस्यों के सम्बन्ध में निम्न समितियों केन्द्रीय समिति को सूचनायें प्रेषित करती रहेगी।

उपधारा 04– केन्द्रीय समिति हर तीन वर्ष में केन्द्रीय महाअधिवेशन बुलायेगी।

धारा 02– कोरमः– बैठक में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 55प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

धारा 03– केन्द्रीय समितियों के किसी सदस्य के पद छोड़ने/पद मुक्त करने के बाद केन्द्रीय समिति तत्कांल रिक्त पदों पर केन्द्रीय समिति की 2/3 सहमति से केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। परन्तु यह नियुक्ति 6 माह तक ही मान्य होगी तथा इस बीच इसका निर्वाचन विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतिक्रिया द्वारा होगा।

अनुच्छेद–10

राज्य समिति

धारा 01– राज्य समिति के अधिकार एवं कार्य

उपधारा (क) राज्य समिति अपने अनुसंगी समितियों को दिशा निर्देश प्रदान करेंगी।

महानवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश

उपधारा (ख) राज्य स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करेगी।

उपधारा (ग) अपने सदस्यों की जांच करेगा तथा उनके लिए उचित मापदण्ड तय करेगा।

उपधारा (घ) अपने कोष को केन्द्रीय समिति को जमा करायेगी।

उपधारा (ङ) अपने तथा अपने अनुसंकी समिति की मांग/सुझाव को केन्द्रीय समिति में भेजेगी।

अनुच्छेद–11

धारा 01– जिला/नगर पालिका/ नगर पारिषद क्षेत्र/ अनुमण्डल समिति/ प्रखण्ड समिति/ पंचायत समिति/ग्राम समिति के अधिकार एवं कार्य/ जिला/ नगर पालिका/ नगर परिषद क्षेत्र/अनुमण्डल समिति/ प्रखण्ड समिति/ पंचायत समिति/ ग्राम समिति अपने स्तर पर वैसे ही कार्य करेंगे जैसा कि राज्य समिति राज्य स्तर पर करती है।

अनुच्छेद–12

पदाधिकारियों के कार्य भार

धारा 01– अध्यक्ष और उसके अधिकार व कर्तव्य

उपधारा (क) केन्द्रीय अध्यक्ष संगठन का प्रधान पदाधिकारी होगा एवं संगठन का मुख्यवक्ता होगा।

उपधारा (ख) केन्द्रीय समिति के कार्य एवं नीतियों का दिशा निर्देश अध्यक्ष महाअधिवेशन में निर्णय के आधार पर करेगा।

उपधारा (ग) केन्द्रीय अध्यक्ष अपने उत्तरदायित्वों को सहयोगी सदस्यों के बीच वितरित कर सकेगा।

उपधारा (घ) केन्द्रीय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं अनुपस्थिति की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय उपाध्यक्ष करेगे।

उपधारा (च) केन्द्रीय अध्यक्ष संगठन के किसी भी समिति या अनुशांगिक इकाईयों का निरीक्षण कर इन्हें निर्देशित कर सकेगा।

उपधारा (छ) केन्द्रीय अध्यंक्ष को केन्द्रीय समिति का विश्वास खोने की स्थिति में दो तिहाई केन्द्रीय समिति के सदस्यों की सहमति से आपातकालीन महाअधिवेशन बुलाकर महाअधिवेशन के दो तिहाई बहुमत से उन्हें केन्द्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकेगा।

धारा 02– केन्द्रीय महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

उपधारा (क) केन्द्रीय महासचिव संगठन के सभी कार्यालयों के कार्य के प्रति केन्द्रीय समिति में जिम्मेदार है।

उपधारा (ख) केन्द्रीय महासचिव के कार्यो में सहायता के लिए सचिवों का प्रत्यक्ष योगदान होगा।

उपधारा (ग) केन्द्रीय महासचिव अपने सचिवों को निर्देशित करेंगे संगठन के विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां या परिवेक्षण का कार्य महासचिवों के जिम्मे माना जायेगा।

उपधारा (घ) संगठन के सभी कागजातों, प्रकाशनों, पत्राचार एवं दस्तावेजो का प्रभारी महासचिव होगा।

उपधारा (च) महासचिवों को हटाने के लिए केन्द्रीय समिति का बहुमत आवश्यक होगा।

धारा 04– कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

(क) कोषाध्यक्ष संगठन के सभी व्यय का लेखा–जोखा रखेगा।

(ख) केन्द्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर प्रायोजित राशि निकाल सकेगा।

(ग) प्रत्येक निकाली गई राशि के बारे में केन्द्रीय समिति को अवगत करायेगा।

धारा 05– उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

उपधारा (क) केन्द्रीय अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुमति से केन्द्रीय अध्यक्ष कर सकते है। इसकी सूचना केन्द्रीय समिति को दी जायेगी।

उपधारा (ख) प्रत्येक केन्द्रीय अपने सम्बन्धित प्रक्षेत्र में संगठनिक कार्यो के प्रति केन्द्रीय समिति में जिम्मेदार होगा।

उपधारा (ग) केन्द्रीय उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने के लिए केन्द्रीय समिति की 2/3 बहुमत पर आवश्यक है।

धारा 06— सचिवों के अधिकार एवं कर्तव्यः—

उपधारा (क) सचिवों को कार्य करने का अधिकार महासचिव प्रदान करता है।

उपधारा (ख) प्रत्येक सचिव अपने सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में प्रत्येक बैठक में अपनी रिपोर्ट महासचिव को सौपेगे।

उपधारा (ग) अगर सचिवों को अपने कार्यो के सम्पादन में किसी अन्य सचिव के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यता महसूस हो तो वह सम्बन्धित विभाग के सचिव को उसकी सूचना लिखित रूप से देगा।

उपधारा (घ) सचिव को पद मुक्त करने हेतु केन्द्रीय अध्यक्ष महासचिव एवं केन्द्रीय समिति से विमर्श करने तथा साधारण बहुमत के उपरान्त कर सकते है।

धारा 07— प्रवक्ता के अधिकार एवं कार्य—

यह क्रमशः जिला/राज्य/केन्द्रीय स्तर मीडिया के सम्बन्ध अपने संगठन की छबि को सुधारेगा तथा केन्द्रीय प्रवक्ता समिति की सहमति से सारे सही वक्तव्य मीडिया के समक्ष जारी कर सकेगा।

धारा 08— संगठन सचिव के कार्य—

यह सभी समिति के संगठन चुनाव के लेखा रखेगा तथा इसे समय से कराने हेतु जिम्मेदार होगा

अनुच्छेद—13

अनुशासनात्मक कार्यवाही

धारा 01— अनुशासन भंग होना निम्नलिखित कारणों से जाना जायेगा—

(क) पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लेना।

(ख) पार्टी के संविधान में विनिर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करना।

(ग) एक सभ्य भारतीय नागरिक की मर्यादा का उल्लंघन करना आदि।

राष्ट्रीय अध्यक्ष

धारा 02– सभी सदस्यों को अनुशासन का पालन करना होगा। अनुशासन भंग करने का कारण बताओ सूचना निलम्बन एवं अन्त में निष्काशन की कार्यवाही भी की जा सकेंगी।

धारा 03– केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय अनुशासन समिति की सिपारिशों पर केन्द्रीय समिति से विमर्श कर किसी भी दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते है। जिन्हें अपनी बात कहने का मौका दिये जाने के बाद केन्द्रीय अनुशासन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

अनुच्छेद–14

समितियों/अंगो तथा उनके सदस्यों/पदाधिकारियों का कार्यकाल

संगठन के सभी समितियों/अंगों तथा उनके सदस्यों/पदाधिकारियों का कार्यकाल सामन्यतः तीन वर्ष का होगा अर्थात संगठनात्मक चुनाव तीन वर्षो में एक बार होगा।

अनुच्छेद–15

पार्टी का कोश्ज्ञ एवं बैंक एकाउण्ट

धारा 01– सेन्ट्रल बैंक का एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एकाउण्ट होगा। जिसका संचालन केन्द्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव संयुक्त रूप से करेंगे।

अनुच्छेद–16

पार्टी का लेखा परीक्षण

धारा 01– पार्टी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आयोग को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। पार्टी का लेखा परीक्षण सी0ए0जी0 के पैनल में शामिल ऑडिटर से कराया जायेगा। पार्टी का फण्ड राजनैतिक कार्यो के लिए ही स्तेमाल किया जायेगा। पार्टी अपने

वित्तीय लेखों के रख–रखाव में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी।

अनुच्छेद–17

(क) पार्टी सभी पदों तथा पदाधिकारियों के सगयबद्ध नियमित चुनाव करायेगी।

(ख) पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद को इसके मूल सिद्धान्त घोषित करती है।

(ग) पार्टी यह घोषित करता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और नाही शामिल होगी।

(घ) यह घोषित करता है कि पार्टी पदाधिकारियों के सभी पदों तथा पार्टी के अंगों के लिए समयबद्ध चुनाव (समयावधि को संविधान में विनिर्दिष्ट किया जायेगा पर यह 4 वर्ष से कम से कम एक बार अवश्य) कराये जायेंगे।

(ङ) पार्टी अपने पंजीकरण के पांच वर्षो के अन्दर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ने तथा उसके पश्चात लड़ना जारी रखेगा (यदि दल लगातार छः वर्षो तक चुनाव नहीं लड़ता तो पंजीकृत दलों की सूची से उसका नाम हटा दिया जायेगा)

केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय महासचिव